

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0 )  
वाद सं0 : 351 सन 2025  
अनवान :-

1. अमीचन्द्र पुत्र रामूराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

2. सजना पत्नी रामूराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा  
88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज  
निर्णय दिनांक :- 26/05/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 82 की 20 बीधा व साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीधा भूमि इमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसीया को दिनांक 25.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज इमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पूर्वज इमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आवटि इमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एव विधिक वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 है जिसके वादी के पूर्वज ईमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज इमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया के विधिक वारिसान के आधार पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीधा को भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश के दौरान हाल खसरा न0 277 की 10.00 बीधा में पैमुद परिवर्तन किया गया है जिसे हैक्टयर में परिवर्तन करने के उपरान्त रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 73 की 2.4288हैक् भूमि में पैमुद परिवर्तन किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल /हाल जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

वादी के पूर्वज इमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीधा हैक् भूमि दिनांक 25.09.1968 को आवंटित की गई आवंटन की शर्तों के अनुसार वादी के पूर्वज को आवंटिन होने के दस वर्ष बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया था अर्थात वादी के पूर्वज वाद भूमि के खातेदारी अधिकार हो चुके है वादी के पूर्वज इमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 है जिनके नाम वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो अपने पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके थे वादी के पूर्वज के देहान्त होने के बाद उसके विधिक वारिसान विरास्तन बतौर खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पूर्वज इमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के ईमीचन्द्र पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी

धानसिया नियमानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी इमीचन्द पुत्र फरसा के वारिसान को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है तथा वादी के पूर्वज के देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने पूर्वज को आवंटन की गई भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे किन्तु वाद भूमि को वादी व तरतीबी प्रतिवादी के नाम गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजों को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 930/915 के खसरा न0 277 की 2.4288हैक् भूमि में वादी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 930/915 के खसरा न0 277 की कुल 2.4288हैक् भूमि जो वादी के पूर्वज ईमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को दिनांक 25.09.1968 को आवंटन की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव तरीबी प्रतिवादी संख्या 2 गैरखातेदार के रूप में दर्ज है के स्थान पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने की घोषणा करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 का अनुतोष वादी में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नहीं प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। परोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र/दस्तावेजात पेश किया जिस पर जिरह नहीं की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 82 की 20 बीधा व साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीधा भूमि इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसीया को दिनांक 25.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आवटि इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एव विधिक वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 है जिसके वादी के पूर्वज ईमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया के विधिक वारिसान के आधार पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीधा को भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश के दौरान हाल खसरा न0 277 की 10.00 बीधा में पैमुद परिवर्तन किया गया है जिसे हैक्टयर में परिवर्तन करने के उपरान्त रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 73 की 2.4288हैक् भूमि में पैमुद परिवर्तन किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल /हाल जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है।

Lalul

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीघा हैक भूमि दिनांक 25.09.1968 को आवंटित की गई आवंटन की शर्तों के अनुसार वादी के पूर्वज को आवंटित होने के दस वर्ष बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया था अर्थात वादी के पूर्वज वाद भूमि के खातेदारी अधिकार हो चुके हैं वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 है जिनके नाम वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो अपने पूर्वजों को आवंटन की गई भूमि जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके थे वादी के पूर्वज के देहान्त होने के बाद उसके विधिक वारिसान विरास्तन बतौर खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षों बाद ही वादी के इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया नियमानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी इमीचन्द पुत्र फरसा के वारिसान को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है तथा वादी के पूर्वज के देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने पूर्वज को आवंटन की गई भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे किन्तु वाद भूमि को वादी व तरतीबी प्रतिवादी के नाम गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी व तरतीबी प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजों को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 930/915 के खसरा न0 277 की 2.4288 हैक भूमि में वादी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बाराणी क्षेत्रों में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के साबिक खसरा न0 73 की 20.00 बीघा भूमि वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को दिनांक 25.09.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णतया साबित है आवंटन होने के सम्बन्ध में पेरोकार राज ने भी कोई उज्र पेश नहीं किया।

आवंटि इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 है जिसके वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वाद भूमि कब्जा काश्त में है आवंटि इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नहीं किया गया है।

रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीघा भूमि को भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा हाल पैमाईश के दौरान साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीघा भूमि को हाल खसरा न0 277 की 10.00 बीघा भूमि में पैमुद परिवर्तन किया गया है तथा उक्त भूमि को हैक्टर में परिवर्तन करने के उपरान्त हाल खसरा न0 277 की 2.4288 हैक भूमि में परिवर्तन किया जाकर आवंटि इमीचन्द पुत्र फरसा के वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है।

अर्थात वाद भूमि इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को दिनांक 25.09.1968 को आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आवंटित भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी

धानसिया के कब्जा काशत में थी एवं वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया के देहान्त होने पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काशत में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काशत के सम्बन्ध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 20.00बीधा हाल खसरा न0 277 की 10.00 अर्थात् 2.4288हैक् भूमि दिनांक 25.09.1968 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया के देहान्त होने पर उनके वारिसान की हैसियत से वादी ए प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज है।

वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 73 की 2.4288हैक् भूमि दिनांक 25.09.1968 के तीन/दस वर्षों के बाद वादी के पूर्वज आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एव वादी के पूर्वज के देहान्त होने के बाद उनके विधिक /जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 वाद भूमि के खातेदारी काशतकार हो चुके थे वादी के पूर्वज को आवंटन दिनांक के दस वर्षों के बाद बतौर खातेदार काशतकार दर्ज करना तहसीलदार का दायित्व था किन्तु वादी के पिता को खातेदार काशतकार दर्ज नहीं किया गया था जिसे वादी अब भी बतौर खातेदार काशतकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया को आवंटन दिनांक 25.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार वादी के पूर्वज आवंटन दिनांक 25.09.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काशतकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काशतकार दर्ज किया जाना था अर्थात् आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार वाद भूमि को वादी के पूर्वज के नाम बतौर खातेदार काशतकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी के पूर्वज के देहान्त होने पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 जो जायज वारिसान है बतौर खातेदार काशतकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है आवंटन आदेश के अनुसार वादी का कथन न्यायोचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पूर्वज को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमियां जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई हैं के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्हीं के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारों के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू हैं। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

*Zahul*  
उपसहस्र अधिकारी  
बोहर

“Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment.”

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व ( कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन ) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवंटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आवंटियों को अस्थाई खेती पट्टा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि आवंटि के वारिसान के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है तथा साबिका खसरा से हाल खसरा का मिलान भी वादी के कथनानुसार सही तौर से हो रहा है आवंटि के वारिसान के कब्जा काश्त में है वाद भूमि भारमुक्त है किसी प्रकार का विवाद या आवप्ती आदि की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है नगरपालिका की पैराफरी क्षेत्र में नहीं है किसी प्रकार का विवाद नहीं है तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट वादी के कथनो का समर्थन करती है

वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी धानसिया ( जो अनुसूचित जाति का सदस्य है ) को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीघा हाल खसरा न0 277 की 2.4288 हैक् भूमि आवंटन दिनांक 25.09.1968 को आवंटन की गई थी जो आवंटि इमीचन्द के कब्जा काश्त में थी वादी के पूर्वज इमीचन्द के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज इमीचन्द के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है परोकार राज के कथनानुसार जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता लालुराम पुत्र इन्द्राराम को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवंटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी वादी के पूर्वज इमीचन्द को आवंटन की गई भूमि के खातेदार अधिकार उपनिवेशन नियमों के तहत पाने का अधिकारी है

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय

पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसूचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा धानीसया के साबिका खसरा न0 73 की 20.00 बीघा हाल खसरा न0 277 की 2.4288हैक् भूमि भूमि वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा जाति मेधवाल निवासी नीमला को आवंटन की गई थी जो आवंटन आदेश एव तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया साबित है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वाद भूमि जो वादी के पूर्वज को आवंटन की गई थी पूर्व में वादी के पूर्वज इमीचन्द के कब्जा काश्त में चली आ रही थी वादी के पूर्वज इमीचन्द पुत्र फरसा के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त की पूष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एव प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णरूप से साबित है वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं/परिपत्र के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात वादी उपनिवेशन नियमों के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 930/915 के खसरा न0 277/2 कुल 2.4288हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीघा का 10 प्रतिशत 200/-प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद उक्त वाद भूमि में वादी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 26/05/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

*Lahu.*  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- राहुल श्रीवास्तव ( आई.ए.एस )

अनवान :-

1. अमीचन्द्र पुत्र रामूराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

2. सजना पत्नी रामूराम जाति मेधवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर


तरतीबी प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 351 सन 2025 निर्णय दिनांक - 26/05/26**

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव ( आई.ए.एस ) उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 930/915 के खसरा न0 277/2 कुल 2.4288हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/-प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद उक्त वाद भूमि में वादी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )